पत्रांकः— 1582

प्रेषकः—

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0 दिनांकः— 06/7/18

विषय—दिनांक—04.07.18 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में छपे खबर पर स्वतः संज्ञान के तहत् अग्रतर कार्रवाई के मद्देनजर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में डॉ0 रंजय कुमार, सिनियर रेजिडेन्ट, मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के वर्तमान वेतन पर रोक लगाने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि दिनांक – 04.07.18 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में छपे खबर ''एक महिला मरीज की स्थिति गंभीर होने पर संबंधित नर्स द्वारा कॉल लिखे जाने तथा नर्स एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के बुलाने के बावजूद भी इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा वार्ड में नही जाने एवं स्थिति बिगड़ने पर महिला मरीज को इमरजेंसी ले जाने पर इलाज के दौरान मौत'' की खबर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वतः संज्ञान के तहत् दिनांक – 05.07.18 को आहुत बैठक में गठित कमिटी के उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा, 'ड्यूटी पर तैनात डॉ0 रंजय कुमार, सिनियर रेजिडेन्ट, मेडिसीन विभाग को' प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सर्वसम्मति से उनके वर्तमान वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया ।

अतः उक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि कमिटी द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में डॉ0 रंजय कुमार, सिनियर रेजिडेन्ट के वर्तमान माह के वेतन को तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध किया जाए एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए । साथ ही अस्पताल में OPD/IPD/Emergency/Causality में कार्यरत सभी चिकित्सकों के कार्यकलाप पर निगरानी रखना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी दुखद घटना की पुनावृत्ति न होने पायें ।

विश्वासभाजन

6/7/18

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

पत्रांकः–

प्रेषकः–

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

अधीक्षक,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0 दिनांकः–

विषय–दिनांक–04.07.18 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में छपे खबर पर स्वतः संज्ञान के तहत् अग्रतर कार्रवाई के मद्देनजर सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में डॉ0 रंजय कुमार, सिनियर रेजिडेन्ट, मेडिसीन विभाग, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर के वर्तमान वेतन पर रोक लगाने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि दिनांक – 04.07.18 को दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर में छपे खबर ''एक महिला मरीज की स्थिति गंभीर होने पर संबंधित नर्स द्वारा कॉल लिखे जाने तथा नर्स एवं स्वास्थ्य प्रबंधक के बुलाने के बावजूद भी इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक द्वारा वार्ड में नही जाने एवं स्थिति बिगड़ने पर महिला मरीज को इमरजेंसी ले जाने पर इलाज के दौरान मौत'' की खबर पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वतः संज्ञान के तहत् दिनांक – 05.07.18 को आहुत बैठक में गठित कमिटी के उपस्थित सभी पदाधिकारियों द्वारा 'ड्यूटी पर तैनात डॉ0 रंजय कुमार, सिनियर रेजिडेन्ट, मेडिसीन विभाग को' प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए सर्वसम्मति से उनके वर्तमान वेतन पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया ।

अतः उक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि कमिटी द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के आलोक में डॉ0 रंजय कुमार, सिनियर रेजिडेन्ट के वर्तमान माह के वेतन को तत्काल प्रभाव से अवरूद्ध किया जाए एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी दी जाए । साथ ही अस्पताल में **OPD/IPD/Emergency/Causality** में कार्यरत सभी चिकित्सकों के कार्यकलाप पर निगरानी रखना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ऐसी दुखद घटना की पुनावृत्ति न होने पायें ।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्राचार्य

ज्ञापांकः– 1582 दिनांकः– 06/7/18

प्रतिलिपिः–1) उपरोक्त कमिटी में नामित सभी पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

2) प्रभारी प्रा0 (प्र0)/Estate Officer/ओ0एस0डी0, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3) आई0टी0 सेक्शन, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

6/7/18

प्राचार्य
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर